

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०,
पंतनगर, पो०- हल्दी, जनपद- ऊधम सिंह नगर।

निगम के कर्मचारियों को मोटर कार/स्कूटर/
मोटर साईकिल/मोपेड/साईकिल क्रय करने
हेतु अग्रिम दिये जाने सम्बन्धी नियमावली

1997

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० में निदेशक मण्डल की 158वीं बैठक दिनांक 8.9.97 में मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल क्रय करने के सम्बन्ध में अग्रिम दिये जाने सम्बन्धी नियमावली:

नाम और प्रारम्भ	(एक)	इस नियमावली को उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल क्रय करने के लिए दिये जाने वाले अग्रिम के रूप में जाना जायेगा।
पात्रता	(दो)	यह दिनांक 08.09.97(1997) से प्रवृत्त होगी। यह नियमावली निगम में निम्नलिखित के अतिरिक्त समस्त कर्मचारियों पर लागू होगी: (1) वे कर्मचारी जो अनियत रूप से सेवायोजित हो या जिन्हें दैनिक वेतन/तदर्थ रूप में वेतन भुगतान किया जाता हो। (2) कोई सरकारी सेवक जो निगम में प्रतिनियुक्ति पर हो। (3) वे कर्मचारी जिनकी सेवायें निगम में 5 वर्ष की पूर्ण न हुई हों।
निगम		निगम को तात्पर्य उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० से है।
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक		का तात्पर्य उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक से है।
संक्षम प्राधिकारी		का तात्पर्य निदेशक मण्डल द्वारा किसी सामान्य या विशिष्ट नियम या आदेश द्वारा उप नियम या आदेश में आदेश के विनिर्दिष्ट कार्यों को करने या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है।
कर्मचारी		का तात्पर्य निगम में कार्यरत नियमित/स्थाई कर्मचारी से है। निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी निगम का नियमित कर्मचारी नहीं होगा।
सरकार परिवार		का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है। (1) यथास्थिति कर्मचारी की पत्नी या पति चाहे वह उसके साथ निवास करता हो या नहीं, किन्तु डिक्री या किसी संक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा कर्मचारी से पृथक कर दी गयी पत्नी या पति जैसे भी स्थिति हो, सम्मिलित नहीं है।
प्रतिभू		कर्मचारियों को मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/ साइकिल मोपेड अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ऐसे दो कर्मचारियों की ओर से जमानत दी जायेगी जो निगम का नियमित कर्मचारी हो जिसमें किसी अन्य कर्मचारी के सम्बन्ध में पहले से ही जमानत न दे रखी हो। जमानत देने वाले कर्मचारी इस आशय का घोषणा पत्र देगा कि वह अन्य कर्मचारी का प्रतिभू नहीं है।

वेतन
कर्मकार

का तात्पर्य मूल वेतन से है।

का तात्पर्य औद्योगिक निकाय अधिनियम, 1947 में यथा परिभाषित व्यक्ति से है।

1. सामान्य

निगम में कार्यरत कर्मचारियों को वर्गीकरण (तृतीय वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार)

समूह वेतनमान

“क” रू0 3100 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600 या उससे ऊपर के वेतनमान

“ख” रू0 2200–4000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400 के वेतनमान

“ग” रू0 950–1500 से 2120–3600 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1900–4800 या उससे कम के वेतनमान

“घ” रू0 775 से ऊपर 825–1200 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 1800

निगम में विभिन्न समूह के अधिकारियों/ कर्मचारियों को मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल अग्रिम की सुविधा निम्न आधार पर आबंटित धनराशि से उपलब्ध होगी:

समूह आबंटित धनराशि का प्रतिशत

“क” 30%

“ख” 10%

“ग” 35%

“घ” 25%

100%

2. वरीयता

अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त सुविधा प्रदान करते समय उन अधिकारी/कर्मचारी वरीयता के पात्र होंगे जिनका सेवा निवृत्ति समय निकट होगा तथा जिन्होंने परिवार नियोजन नियम का पालन किया हो।

3. अग्रिम भुगतान की परिसीमा

(1) मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल सम्बन्धी प्रत्याभूति, साधारण रेहन (मार्टगेज)करने पर संलग्न अनुबन्ध पत्र परिशिष्ट “ए” पर सौ रूपये का नॉन जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(2) कर्मचारियों को मोटरकार खरीदने के लिए अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा सम्बन्धित कर्मचारी का 24 माह का वेतन या मोटरकार का पूर्वानुमानित मूल्य का 80% जो भी सबसे कम होगा, पात्रता की श्रेणी में वही कर्मचारी आयेंगे जिनका वेतनमान रू0 3100-4500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6600 प्रतिमाह या अधिक है। अग्रिम की वसूली 96 किश्तों में की जायेगी।

(3) मोटर साईकिल/स्कूटर खरीदने के लिए अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा कर्मचारी का 10 माह का वेतन या मोटर साईकिल/स्कूटर का पूर्वानुमानित मूल्य का 80% जो सबसे कम होगा, पात्रता की श्रेणी में वही कर्मचारी आयेंगे जिनका वेतनमान रू0 1025-1720 से 2200-4000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 2400 से वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 5400 प्रतिमाह होगा। अग्रिम की वसूली 72 किश्तों में की जायेगी।

(4) मोपेड खरीदने के लिए अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा कर्मचारी का 10 माह का वेतन या मोपेड का पूर्वानुमानित मूल्य का 80% जो सबसे कम होगा, पात्रता की श्रेणी में वही कर्मचारी आयेंगे जिनका वेतनमान रू0 825-1200 से 950-1500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1800 से वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1900 तक होगा। अग्रिम की वसूली 72 किश्तों में की जायेगी।

(5) साईकिल खरीदने के लिए अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा कर्मचारी का 02 माह का वेतन या साईकिल का पूर्वानुमानित मूल्य का 80% जो सबसे कम होगा, पात्रता की श्रेणी में वही कर्मचारी आयेंगे जिनका वेतनमान रू0 775-1067 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0 1800 होगा। अग्रिम की वसूली 12 किश्तों में की जायेगी।

(6) कर्मचारी को मोटरकार/स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड/साईकिल क्रय हेतु अग्रिम सेवाकाल में एक बार ही दिया जायेगा।

4. ब्याज की दर

निगम द्वारा कर्मचारियों को मोटरकार/स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड/साईकिल क्रय हेतु प्राप्त किये गये अग्रिम की तिथि से 14% की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा। किन्तु

5. मोटर कार/मोटर साईकिल
/स्कूटर/मोपेड/साईकिल
क्रय के लिए अग्रिम प्राप्त
करने के लिए प्रपत्र

कर्मचारियों द्वारा समय से या समय से पूर्व लिये गये ऋण की
अदायगी पर ब्याज की दर में 4 प्रतिशत की दर से छूट दी
जायेगी। ब्याज की गणना अन्तिम किश्त अदा करने की तिथि
से पुनः 20 समान किश्तों में या इससे पूर्व की जायेगी।
कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अर्न्तगत आवेदन करने पर
ही अग्रिम स्वीकृत करने हेतु विचार किया जायेगा।
(परिशिष्ट "बी")

6. विशेष

निगम के कर्मचारियों को मोटरकार/मोटर साईकिल/
स्कूटर/मोपेड/साईकिल क्रय करने के लिए अग्रिम स्वीकृत
करने या न करने अथवा नियमों में शिथिलता प्रदान करने का
अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

.....

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि०
पन्तनगर, पत्रालय हल्दी, जिला-उधमसिंहनगर

मोटरकार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल कय हेतु अग्रिम के लिए प्रार्थना पत्र

1. नाम _____
2. पदनाम और कार्यालय का पता _____
3. घर का स्थायी पता _____
4. स्थायी पद अथवा मौलिक नियुक्ति _____
5. वेतन और भत्ते :-
 - (1) मूल वेतन _____
 - (2) स्थानापन्न वेतन _____
 - (3) विशेष वेतन _____
 - (4) ब्यौरे सहित भत्ते _____
6. अपेक्षित अग्रिम धनराशि
 - (क) मोटर कार खरीदने के लिए _____
 - (ख) मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड/साइकिल खरीदने के लिए _____
7. मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल खरीदने का पूर्ण विवरण _____
8. अग्रिम धनराशि कितनी किशतों में चाहिए और प्रत्येक किशत के कब तक पूर्णरूप से उपयोग कर लिये जाने की सम्भावना है _____
9. मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल खरीदने, बनाने, उसकी मरम्मत करने या उसके लिए भविष्य निधि से लिये गये स्थायी प्रत्याहरण (फाइनल विद्दाल) का पूरा-पूरा विवरण दीजिए। _____
10. जन्म का दिनांक _____
11. (क) सामान्यतः आप कब तक सेवानिवृत्त होंगे _____
(ख) क्या आपका विचार इससे पहले सेवा-निवृत्त होने का है। _____
12. वसूली कब से और किस दर से होनी चाहिए _____
13. क्या आपकी पत्नी/आपके पति राज्य सरकार के कर्मचारी हैं? यदि हाँ तो –
 - (1) उनका नाम, पदनाम तथा कार्यालय का पता अंकित करें। _____
 - (2) यदि उन्होंने इन नियमों के अधीन किसी अग्रिम के लिए आवेदन-पत्र दिया _____

हो और या अग्रिम लिया हो तो निम्नलिखित विवरण दें :-

क. आवेदन पत्र देने की तिथि

ख. लिये गये अग्रिम का प्रयोजन

ग. लिये गये अग्रिम की राशि

18. क्या आपने या आपकी पत्नी या आपके पति ने अपनी ओर से या किसी अवयस्क बच्चे की ओर से किसी अन्य श्रोत /संस्था से मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड प्रार्थना पत्र दिया है या कोई ऋण/अग्रिम प्राप्त किया है, यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।

—:घोषणा:—

1. मैं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताई गई विभिन्न मदों के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है, वह जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सही है।
2. मैंने मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड/साइकिल आदि के लिये निगम कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम को विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और उसमें दी गयी शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

पदनाम

विभाग/कार्यालय, जिसमें वह नियुक्त हो।

.....

निकटतम उच्च अधिकारी की सिफारिश

.....

अधिकारी के हस्ताक्षर और

पदनाम

जो लागू न होते हों, उन्हें काट दीजिए।

This is indenture made this _____ day of _____
(month) of two Thousand one between _____
S/o _____ R/o _____

At present employed as a _____ in the
Uttarakhand Seeds & T.D.C. Ltd. Pantnagr, P.O. Haldi, Distt.
Udhamsingh Nagar(hereinafter called the 'Borrower' which expression
shall include his heirs, administrators, executors and legal representative
on the one part and the Uttarakhand Seeds and T.D.C. Ltd. (hereinafter
called the Corporation which expression shall include his successors and
assignee and the Corporation) on the other part.

Whereas the borrower has under the provisions of the Rules for grant of
loans (hereinafter referred to as the said rules which expression shall
include any amendments thereof for the time being in force) applied to
the Corporation for a loan of Rs. _____ (Rupees
_____) for the purchase of Car and the
Corporation has agreed to lent the said amount to the borrower on the
terms and conditions hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in
consideration of the sum of Rs. _____ paid by the
Corporation to the borrower (the receipt of which the borrower hereby
acknowledge) the borrower hereby agrees which the Corporation.

(1) To pay the Corporation the said amount with interest calculated
according to the said rules by monthly deductions from his salary as

provided for by the said rules and hereby authorizes the Corporation to make such deduction, and

(2) With one month from the date of these presents to expend the full of the said loan in the purchase of Car or if the actual price said is less than the loan to repay the difference to the Corporation for the with and,

(3) To execute a personal bond with two sureties for the due refund of the amount of such loan. The corporation will hold and exercise the right of lie on the amount of provident fund standing in the credit of the borrower till the amount paid for is cleared together with the interest if any to the Corporation.

AND IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT IS the Car has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or if the borrower within that period becomes insolvent or sues the services of the Corporation or lies the whole amount of loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable.

IN WITNESS WHERE OF THE borrower has herein the set his hand the day and year first before written.

Signature of borrower in the
presence of

Witness :

1. Name

Address :